(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 10/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, दिनांक 07 मार्च, 2019

सा.का.नि............ (अ.)- केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (एतश्मिन पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 23 की उप धारा (2) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के खंड (vi) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को, उस श्रेणी के व्यक्तियों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिनको उक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण से छूट प्राप्त है, यथा:-

ऐसा कोई व्यक्ति जो कि माल की अनन्य आपूर्ति में लगा हो और जिसका पिछले वित्तीय वर्ष का कुल कारोबार चालीस लाख रुपए से अधिक न हो, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर,-
(क) जिनके लिए उक्त अधिनियम की धारा 24 की अंतर्गत अनिवार्य पंजीकरण कराना जरूरी हो;
(ख) जो कि ऐसे वस्तुओं की आपूर्ति में लगे हों जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत आती हों;
(ग) जो कि अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड राज्यों में अंत:राज्यीय आपूर्ति में संलग्न हों; और
(घ) धारा 25 की उप धारा (3) के प्रावधानों के अंतर्गत विकल्प अपना रहे हों या ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अपने पंजीकरण को जारी रखना चाहते हैं ।

सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय	विवरण
(1)	(2)	(3)
1	2105 00 00	आईस क्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे इनमें कोकोवा मिला हो या नहीं
2	2106 90 20	पान मसाला
3	24	ऐसी सभी वस्तुएं जो कि तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के विकल्प हों ।

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2019 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या 354/25/2019-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार